



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 आश्विन, 1946 (श०)

संख्या - 619 राँची, शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2024 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ।

अधिसूचना

27 सितम्बर, 2024

संख्या -09/आरोप-राँची-31/2019 - 3124/रा० (09)/रा.,--श्री राहुल कुमार चौबे, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, राँची संप्रति निलंबित (मुख्यालय- जिला अवर निबंधन कार्यालय, हजारीबाग) के विरुद्ध प्रतिबंधित सूची में दर्ज भूमि का निबंधन करने के आरोप में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी कार्यालय, राँची का पत्रांक-435(ii)/स्था०, दिनांक-16.03.2021 द्वारा आरोप पत्र विभाग को प्राप्त हुआ है ।

2. आरोप पत्र में गठित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक-1769/रा०, दिनांक- 13.04.2021 द्वारा श्री चौबे से स्पष्टीकरण की माँग की गई। उक्त के आलोक में श्री चौबे द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है ।

3. श्री चौबे द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-891/रा०, दिनांक-15.03.2022 के माध्यम से उपायुक्त, राँची से मंतव्य की माँग की गई है। उक्त के क्रम में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी कार्यालय, राँची का पत्रांक-71(i)/स्था०, दिनांक- 27.07.2024 द्वारा विभाग को मंतव्य उपलब्ध कराया गया है ।

4. श्री चौबे के विरुद्ध आरोप पत्र में गठित आरोप, श्री चौबे द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण तथा समर्पित स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, राँची से प्राप्त मंतव्य एवं उपलब्ध अभिलेखों के सम्यक समीक्षोपरांत श्री चौबे के विरुद्ध आरोप पत्र में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है ।
5. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री कमल जॉन लकड़ा, (सेवानिवृत्त भा०प्र०से०) विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नामित किया जाता है।
6. अपर समाहर्ता, राँची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रामवृक्ष महतो,
सरकार के उप सचिव ।
